तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रा. पत्र बाजदायरी संख्या 29/2019 प्रभुदयाल बनाम छगनी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2023	प्रार्थी की ओर से श्री राजाराम चौधरी, एडवोकेट ने वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई पेश करने पर पत्रावली आज पेश हुई। शा.फा. हो। वकील अपीलांट को प्रार्थना पत्र बाज दायरी पर सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.07.2023 कैम्प कोर्ट अलवर में वास्ते तलबी हेतु नियत है। उपरोक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.11.2019 को मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत कर दी गई थी। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित नहीं किये जाने से उपरोक्त अपीलाधीन आदेश की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 1072 दिनांक 13.07.2020 को तस्दीक किया जाकर राजस्व अभिलेखों में रेस्पोडेन्ट का नाम अंकित कर दिया गया। जिसकी अपील संख्या 22/2022 उनवानी प्रभूदयाल बनाम श्रीमती छगनी व अन्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी। दोनों ही प्रकरणों में कैम्प अलवर में नियत होने के कारण उक्त प्रकरणों में अग्रिम कोई कार्यवाही नही हो सकी। माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश नहीं होने का एवं राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त अपीलाधीन आराजी को अन्यत्र हस्तान्तरित करने हेतु इकरारनामा कर बेचान करने पर आमादा हो रहे हैं। जिनका कि उन्हें काई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये उक्त प्रकरण को जयपुर मुख्यालय में नियत किया जाकर शीघ्र सुनवाई किया जाना आवश्यक हो गया। न्यायहित में आवश्यक है कि उक्त प्रकरण में शीघ्र सुनवाई किया जाकर स्थगन आदेश पारित किया जाये ताकि प्रार्थी को प्रभावी न्याय प्राप्त हो सके। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत प्रकरण को कैम्प अलवर के स्थान पर मुख्याल जयपुर में शीघ्र सुनवाई हेतु नियत किया जाकर स्थगन आदेश पारित किये जाने के आदेश पारित फरमाया जावे। इसलिये अपील को पुनः नम्बर पर लेकर सुनवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अपील को पुनः नम्बर पर लेकर सुनवाई करने की कृपा करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन 300/रू. की कोष्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल अपील रेस्टोर की जाती है। वकील अपीलांट 300/– रू. की कोष्ट राजकोष में जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर हमफिता अपील रहे। आदेश सुनाया गया। (असलम शेर खान) अति. संभागीय आयुक्त जयपुर	त